न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 83/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांक 29.3.2022

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

देवीलाल पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी मोल्यक्याखुर्द तहसील बकानी जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बकानी जिला झालावाड राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरपत सिंह राजावत अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 153/अपील/2020 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान देवीलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बकानी मे पारित निर्णय दिनांक 1.3.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बकानी द्वारा दिनांक 16.9.2020 को निर्णय पारित कर ग्राम मोलक्या खुर्द की आराजी खसरा नं0 490/7 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह पर कच्चा मकान द्वारा कब्जा करने का अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/–रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 1.3.2021 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.3.2021 से व्यथित होकर. अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड दिया है अपीलांट का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिक्रमण अथवा नाजायज कब्जा नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाकयाती एंव कानूनी प्रकियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होने से आवागमन बन्द होने से समय पर निर्णय के लिये आवेदन नही कर सका। अनलॉक होते ही दिनांक 15.7.21 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.7.21 को नकल प्राप्त हुई उसके बाद बिना किसी देरी के अपील पेश की गई अतः अपील पेश करने मे हुई क्षम्य की जाकर जानकारी व नकल निर्णय के दिन मुजरा कर अपील को अवधि मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1.3.2021 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। परीक्षण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड दिया है अपीलांट का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिकमण अथवा नाजायज कब्जा नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाकयाती एंव कानूनी

अति. सं. आयुक्त

रीडर (पेशकार

प्रक्रियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अंत मे अपील पेश करने मे हुई देरी
4 सद्भाविक होने से अपील अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण पर विचार कर अपील स्वीकार की जावे।
पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये
5 अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निस्तारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधनियम व प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया। बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार बकानी ने निर्णय दिनांक 16.9.2020 को ग्राम ग्राम मोलक्या खुर्द की आराजी खसरा नं0 490/7 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह पर कच्चा मकान द्वारा कब्जा करने का अतिक्रमी नानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/—रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित जिसकी प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जिसे न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड ने निर्णय दिनांक 1.3.2021 को खारिज किया गया।

7 अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि ''जेरअपील निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अपीलांट ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड दिया है अपीलांट का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिक्रमण अथवा नाजायज कब्जा नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाकयाती एंव कानूनी प्रकियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है''। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि वादग्रस्त अतिक्रमित आराजी किस्म चारागाह है जो पशुओ के चराई के लिये काम आती है तथा ऐसी चारागाह भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत प्रतिबधित भूमि की श्रेणी मे आती है एंव ऐसी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाना जनहित मे निंतांत आवश्यक है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे इसी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल नं0 1213 निर्णय दिनांक 4.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्छ से दण्डित किया गया था अस प्रकार अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित है। अपीलांट द्वारा वादग्रसत आराजी से कब्जा छोड देने का कथन किया है किन्तु अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड देने संबधी कथन की पुष्टि होती हो। अतः अपीलांट का कब्जा छोडने संबधी कथन समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा